भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3455
दिनांक 21 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

पालना योजना

3455. श्री अनुराग शर्मा:
श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत:
श्री योगेन्द्र चांदोलिया:
श्रीमती हिमाद्री सिंह:
श्री दुलू महतोः
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:
श्री तेजस्वी सूर्या:
श्री चिन्तामणि महाराज:
श्रीमती कमलजीत सहरावत:
सुश्री कंगना रनौत :
श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सभी पात्र कम्पनियों में आंतरिक शिकायत निवारण समितियों (आईसीसी) का सख्ती से प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 2022 में पालना योजना के शुरू होने के बाद से इसके प्रभाव का ब्यौरा क्या है और अब तक बच्चों को इससे किस प्रकार लाभान्वित किया गया है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क): कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम (एसएच अधिनियम), 2013 में कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के मामलों से

निपटने के लिए जहां कर्मचारियों की संख्या 10 या उससे अधिक है, वहां आतंरिक समिति के गठन का प्रावधान है और जहां कर्मचारियों की संख्या 10 से कम है या जहां शिकायत स्वयं नियोक्ता के खिलाफ है, वहां अधिनियम के तहत अधिसूचित जिला अधिकारी द्वारा स्थानीय समिति (एलसी) के गठन का भी अधिदेश प्रदान किया गया है।

भारत सरकार ने एसएच अधिनियम, 2013 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कई कदम उठाए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में एसएच अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधानों को शामिल करते हुए शी-बॉक्स पोर्टल शुरू किया है। यह पोर्टल देश भर में निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में गठित आंतरिक समितियों (आईसी) और स्थानीय समितियों (एलसी) से संबंधित सूचनाओं का सार्वजनिक रूप से उपलब्ध केंद्रीकृत भंडार प्रदान करने के लिए मंत्रालय की एक पहल है। यह शिकायत दर्ज करने और ऐसी शिकायतों की स्थिति पर नज़र रखने के लिए एक सामान्य मंच है। इस पोर्टल की विशेषता है कि इस पर दर्ज शिकायतें केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और निजी क्षेत्र में संबंधित कार्यस्थलों के आईसी/एलसी को स्वत: अग्रेषित कर दी जाती हैं। पोर्टल में प्रत्येक कार्यस्थल के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करने का प्रावधान है जिसे शिकायतों की तत्काल निगरानी के लिए नियमित आधार पर आंकड़ा/सूचना को अद्यतन करना सुनिश्चत करना होगा।

अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मंत्रालय देश भर में सभी क्षेत्रों सहित सभी कार्यस्थलों चाहे वे केंद्रीय या राज्य सरकार के विभाग हों, निजी क्षेत्र की संस्थाएं हों या व्यावसायिक निकाय हों जिसमें सभी शैक्षणिक/मेडिकल कॉलेज, अस्पताल इत्यादि शामिल हैं, के आईसी विवरण शामिल करने का प्रयास करता है, ताकि पीड़ित महिला को शिकायत दर्ज करने में आसानी हो सके। शी-बॉक्स पोर्टल के अलावा, उक्त अधिनियम के लागू होने के बाद से यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, एसएच अधिनियम के लिए नोडल मंत्रालय होने के नाते, हर साल एसएच अधिनियम के अधिनियमन दिवस यानी 9 दिसंबर को मनाता है और अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी क्षेत्रों (केंद्र सरकार/राज्य सरकार/निजी निकाय/व्यापार संगठन/ शैक्षणिक संस्थान/ और अन्य संगठनों सहित) को पत्र/ परामर्श जारी करता है और साथ ही तुरंत आईसी/एलसी का गठन करने के लिए भी कहता है।

(ii) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 पर एक लघु पुस्तिका भी जारी की है। इस लघु पुस्तिका में अधिनियम के बारे में जानकारी सरल और व्यावहारिक तरीके से दी गई है। इस लघु पुस्तिका की सॉफ्ट कॉपी व्यापक प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई है और इसे विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के मंत्रियों और संबंधित अधिकारियों को भी भेजा गया है।

(iii) मंत्रालय ने कार्मिकों के प्रशिक्षण और लैंगिक संवेदीकरण कार्यक्रमों के लिए सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) के सहयोग से एक प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया है। मंत्रालय ने लैंगिक रूढ़िवादिता को दूर करने में मदद के लिए 28 नवंबर 2023 को 'जेंडर-समावेशी संचार पर मार्गदर्शिका' भी शुरू की।

(iv) मंत्रालय हाइब्रिड मोड के माध्यम से केंद्र और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकारियों सहित प्रमुख हितधारकों को नियमित प्रशिक्षण सत्र भी प्रदान करता है। ये सत्र राष्ट्रीय महिला आयोग (एनडब्ल्यूसी) और राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड) जैसे स्वायत्त निकायों के सहयोग से आयोजित किए जाते हैं।

(v)कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार ने भी सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को समय-समय पर परामर्श जारी कर जांच को समयबद्ध तरीके से पूरा करने तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण अधिनियम के तहत दायर/निपटाए गए मामलों की संख्या से संबंधित सूचना को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करने को कहा है।

(vi) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 26 जून, 2015 के पत्र के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आंतरिक समिति (आईसी) के गठन को अनिवार्य प्रकटीकरण बनाने के लिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्री से अनुरोध किया है। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 31 जुलाई 2018 के अपने आदेश के माध्यम से कंपनी (लेखा) नियम, 2014 में संशोधन करके महिला एवं बाल विकास मंत्री के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है, जिससे निदेशक की रिपोर्ट में एसएच अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में प्रकटीकरण अनिवार्य हो गया है।

(vii) सभी पात्र कंपनियों में आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी) का सख्ती से प्रवर्तन के लिए, दिनांक 31/07/2018 की अधिसूचना के अनुसार कंपनी (लेखा) नियम, 2014 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन में यह प्रावधान है कि, प्रत्येक कंपनी को वार्षिक रूप

से दायर की जाने वाली वित्तीय विवरण के साथ संलग्न की जाने वाली अपनी बोर्ड रिपोर्ट में एक बयान शामिल करना होगा कि कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 [2013 का 14] के तहत आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया है।

(ख): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने 1 अप्रैल, 2022 से व्यापक मिशन शक्ति के सामर्थ्य घटक के अंतर्गत केंद्र प्रायोजित योजना पालना उप-योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से आंगनवाड़ी-सह-क्रेच (एडब्ल्यूसीसी) के माध्यम से माताओं के बच्चों (06 महीने-06 वर्ष) को उनकी रोजगार स्थिति पर ध्यान दिए बिना डे-केयर सुविधाएं प्रदान करना है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की देखरेख में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा क्रेच में आने वाले बच्चों की उचित देखरेख और सुरक्षा की जाती हैं:

i. बच्चों के सोने और आराम के लिए उचित व्यवस्था प्रदान करना

ii. व्यक्तिगत स्वच्छता सुनिश्चित करें तथा क्रेच सहायक प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें और शौचालय को साफ रखें तथा शौचालय प्रशिक्षण में मदद करें

iii. उचित शौचालय की आदतें और शौचालय प्रशिक्षण विकसित करें

iv. आशा/एडब्ल्यूडब्ल्यू/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी)/एडब्ल्यूसी के साथ संपर्क में नियमित स्वास्थ्य जांच और रेफरल की सुविधा प्रदान करना

v. यह सुनिश्चित करना कि भोजन, उम्र के अनुसार स्वच्छता से पकाया गया हो, संग्रहीत/संरक्षित किया गया हो और उचित अंतराल पर बच्चों को खिलाया जाता है

vi. बच्चे को लेने/सौंपने और बच्चों को दिए जाने वाले खिलौनों और अन्य सामग्रियों की गुणवत्ता के संबंध में सभी निर्धारित सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करना

15वें वित्त चक्र के दौरान, विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 17,000 एडब्ल्यूसीसी स्थापित किए जाने की परिकल्पना की गई है, जिनमें से 11395 एडब्ल्यूसीसी को विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में संचालन के लिए मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। दिनांक 28.2.2025 तक, 1761 एडब्ल्यूसीसी कार्यशील हैं, जिनमें वर्तमान में 28783 लाभार्थी हैं। इसके अलावा, देश भर में 1284 स्टैंडअलोन क्रेच भी उपलब्ध हैं, जिनमें वर्तमान में 23368 लाभार्थी हैं।

*****